इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 22/05/2017 को जोनल अधिकारी श्री पुष्कर श्रीवास्तव के नेतृत्व में देवघाट झलवा, मुटठीगंज व जानसेनगंज क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही निम्नवत है।

1. श्री विहारी लाल गुप्ता द्वारा लक्ष्मी नारायण रोडपर कालम बनाये जा रहे थे जिसे सील किया है।
2. श्री नमो नारायण शुक्ला द्वारा मकान न0 83/01 मालवीय नगर ताज प्लाई वुड के सामने निर्माण हेतु कालम खड़े किये जा रहे थे जिसे सील किया गया है।
3. श्री देवेन्द्र नाथ मिश्रा पुत्र स्व0 पशुपति नाथ मिश्रा द्वारा मकान न0 32 जानसेन गंज पर किये जा रहे अवैध निर्माण को सील किया गय।
4. श्री महेश केसरवानी द्वारा खेलगॉव के आगे (35X30) के क्षेत्रफल में अवैध निर्माण सील।
5. श्री शिवप्रसाद द्वारा कौशाम्बी रोड झलवा (60X30) के क्षेत्रफल में अवैध निर्माण सील।
6. श्री मोनू सिंह द्वारा (50X25) के क्षेत्रफल में किये जा रहे अवैध निर्माण को सील किया गया।
7. श्री जुल्फिकार अहमद द्वारा (50X30) के क्षेत्रफल में साहा उर्फ पीपल गांव में किये जा रहे अवैध निर्माण को सील किया गया।
8. श्री कृष्ण कुमार सिंह द्वारा (50X23) के क्षेत्रफल में मयूर विहार कालोनी में किये जा रहे अवैध निर्माण को सील किया गया।
9. श्री के0के0सिंह द्वारा (20X20) के क्षेत्रफल में मयूर विहार कालोनी में किये जा रहे अवैध निर्माण को सील किया गया।
10. श्री लालचन्द पटेल द्वारा (80X30) के क्षेत्रफल में मयूर विहार कालोनी में किये जा रहे अवैध निर्माण को सील किया गया।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारी के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता,श्री सुनील कुमार,श्री जयशंकर सिंह भवन निरीक्षक श्री राजेश पाण्डेय एडीए प्रवर्तन दल एव पुलिस बल उपस्थित रहे।

(पी0एन0 यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबादं

प्रतिलिपिः– सम्पादक–समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आषय के साथ प्रेशित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाषित कराने का कष्ट करें।

22.05.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद।

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनॉक 22.05.2017 को विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा पुलिस व प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमणों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कूपर रोड सिविल लाइन्स में वृहद रूप से अतिक्रमण चलाया गया। अभियान के दौरान 40 दुकानों (अधिकतर आटो पार्टर्स/गैराज/सर्विस सेन्टर) के सामने से सड़क पर से अतिक्रमण से सम्बन्धित सामाग्री टीन शेड आदि हटाया गया सड़क पर स्थित तीन चाय नास्ते की दुकानो को भटठी तोड़ कर हटाया गया,पांच स्थानो पर नाली को कबर कर बनाये गये रैम्प तोड कर हटाये गये अन्य कई प्रकार के अतिक्रमण भी हटाये गये मौके पर नगर निगम द्वारा रू0 47000/- जुर्माने के रूप में वसूला गया कूपर रोड पर संचालित कुल 46 अवैध दुकाने चिन्हित की गई है जिनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत नोटिस जारी कर सीलिंग आदि की कार्यवाही की जायेगी ।

उक्त कार्यवाही में प्राधिकरण की ओर से विशेष कार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय, नगर निगम के जोनल अधिकारी श्री रवीन्द्र, नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय श्री प्रदीप कुमार के अतिरिक्त भवन निरीक्षक श्री आर0एन0आजाद, थाना सिविल लाइन्स का पुलिस बल, पी0ए0सी0 बल एवं ए0डी0ए0 प्रवर्तन दल व पुलिस बल उपस्थित रहे।

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क

प्रतिलिपिः

सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करानें का कष्ट करें।

22.05.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क